मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
पर्यावास भवन, द्वितीय खण्ड पंचम तल, भोपाल

क्रमांक 16493/22/वि–12/ग्रा.स./2017 भोपाल, दिनांक– 5 जुलाई, 2017

प्रति,

1– **समस्त मुख्य महाप्रबंधक,**
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, रीवा, ग्वालियर एवं उज्जैन (म.प्र.)

2– **समस्त महाप्रबंधक,**
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
मध्यप्रदेश।

विषय– वर्षा ऋतु के दौरान किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।

आप सभी के द्वारा की गई कड़ी मेहनत तथा प्रगति के लिये ठेकेदारों के साथ की गई समीक्षा के परिणाम स्वरूप पिछले 3 माहो में संतोषजनक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अर्जित की गई है, चूंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, परन्तु बहुत से ऐसे कार्य है जिनको कराया जाकर इन वर्षाकाल के 3 माहों में भी अच्छी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अर्जित की जा सकती है। इसके लिये निम्न निर्देश प्रेषित किये जाते हैं :–

1– नवीन निर्माण कार्य :–

1– जिन मार्गों में मिट्टी का कार्य, GSB का कार्य, शोल्डर का कार्य, WBM/WMM का कार्य वर्षा के दौरान संपादित कराया जा सकता है, को चिन्हित कर ठेकेदार के साथ बैठ कर इनका योजनाबद्ध तरीके से 3 माहों में कार्य संपादित कराया जाये।

2– जहां भी सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट अथवा पेनल कांक्रीट बनाये जाने का प्रावधान स्वीकृत परियोजना में है उन्हें 3 माहों में वर्षा के दौरान पूर्ण करा लिया जाये।

3– जिन मार्गों में BT का कार्य कोल्डमिक्स की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से कराया जा सकता है वहां कोल्डमिक्स से वर्षा ऋतु में भी डामरीकरण का कार्य कराया जा सकता है। अतः ऐसे मार्गों को चिन्हित कर उनमें डामरीकरण का कार्य भी इस वर्षा के दौरान कराया जाये।

4– जिन मार्गों में डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है मात्र शोल्डर, रोड फर्नीचर आदि के कार्य शेष हैं उन्हें भी बरसात के दौरान कराया जा सकता है, अतः कराया जाये।

2– संधारण कार्य :–

1– प्राधिकरण के सभी संधारण के कार्यों में प्री मानसून निरीक्षण एवं संधारण कार्य किये जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके तहत पुल–पुलियों की ओपनिंग की साफ–सफाई की जाना तथा किसी भी पुल–पुलिया में वर्षा के दौरान कोई क्षति न हो। अतः ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कराया जाना।

पुल–पुलियों में वर्षा के दौरान पानी अधिक होने की स्थिति में पुल/पुलियां क्रास न की जाये, के संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधी बोर्ड लगाये हैं, उनका संधारण सुनिश्चित किया जाये।

2– जहां कहीं भी वर्षा के दौरान मार्गों के केरीजवे में पॉटहोल एवं पेंच देखें जाते हैं उन्हें तत्काल कोल्डमिक्स से संधारित कराये जाये। अतः कहीं शोल्डर में किसी तरह के संधारण की कमीं देखी जाती है तो उसे तत्काल मापदण्ड अनुसार संधारित कराया जाये ताकि आवागमन में किसी तरह की असुविधा न हो।

5/7/17
(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ0क्र0 16494/22/वि–12/ग्रा.स./ 2017 भोपाल, दिनांक– 5 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2– प्रबंधक (आई.टी.), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को सर्कुलर सेक्शन में डालने के लिये सूचनार्थ अग्रेषित।

3– गार्ड फाईल।

5/7/17
(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण